No.7(1)/EV/2010 Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

New Delhi, the 31st January, 2011.

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 - Tables of Benefits for the savings fund for the period from 1.1.2011 to 31.12.2011.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's O.M. No.7 (2)/EV/2009 dated 29th December, 2009 forwarding therewith Tables of Benefits under CGEGIS for the year 2010. New Tables of Benefits for the savings fund of the Scheme based on a subscription of Rs.10 per month from 1.1.1982 to 31.12.1989 and Rs.15 per month w.e.f. 1.1.1990 onwards have been prepared for the year 2011 and a copy of the table is enclosed. Another Table of Benefits for the savings fund based on a subscription of Rs.10 per month for those employees who had opted out of the revised rates of subscription w.e.f. 1.1.1990 have also been drawn up for the year 2011 and a copy of that table is also enclosed. The amounts in the Tables have been worked out on the basis of interest @ 10% per annum(compounded quarterly) for the period from 1.1.1982 to 31.12.1982, 11% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.1983 to 31.12.1986, 12% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.1987 to 31.12.2000, 11% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2001 to 31.12.2001, 9.5% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2002 to 31.12.2002, 9.0% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2003 to 31.12.2003 and 8% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2004 onwards. The mortality rate under the Scheme has been taken as 3.75 per thousand per annum up to 31.12.1987 and 3.60 per thousand per annum thereafter in both the cases. While calculating the amount it has been assumed that the subscription has been recovered or will be recovered from the salary of the month in which a member ceases to be in service failing which it should be deducted from accumulated amounts payable.

2. In its application to the employees of Indian Audit and Accounts Department this Office Memorandum issues in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(MANOJ SAHAY)
DIRECTOR

All Ministries/Departments of the Central Government as per standard list.

Copy with spare copies for information and necessary action to C&AG, UPSC, all State Governments etc. as per standard list.

NIC, D/o Expenditure for uploading the same on the website of M/o Finance.

सं.7(1)/संस्था-V/2010 भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना - 1980, दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि की बचत निधियों के लिए लाभों की सारणी।

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं.7(2)संस्था-V/2009 को संदर्भित करने का निर्देश हुआ है, जिसके साथ वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामृहिक बीमा योजना के अंतर्गत लाभों की सारणी भेजी गई थी । दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1989 तक 10/- रुपए प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/-रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित बचत निधियों के लिए वर्ष 2011 हेत लाभों की नई सारिणयां तैयार कर ली गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न है । उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने दिनांक 01.01.1990 से अंशदान की बढ़ी हुई दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था. 10 रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित बचत निधियों के लिए लाभों की एक और सारणी वर्ष 2011 के लिए तैयार कर ली गई है और उसकी भी एक प्रति संलग्न है । सारणियों में राशियां दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1982 तक की अवधि के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से लगाया गया ब्याज), दिनांक 01.01.1983 से 31.12.1986 तक की अवधि के लिए 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से लगाया गया ब्याज), दिनांक 01.01.1987 से 31.12.2000 तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से लगाया गया ब्याज) और 01.01.2001 से 31.12.2001 तक की अवधि के लिए 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से लगाया गया ब्याज), दिनांक 01.01.2002 से 31.12.2002 तक की अविध के लिए 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से लगाया गया ब्याज), दिनांक 01.01.2003 से 31.12.2003 तक की अवधि के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से लगाया गया ब्याज), दिनांक 01.01.2004 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष (तिमाही रूप से लगाया गया ब्याज) की दर से ब्याज के आधार पर तैयार की गई है । स्कीम के तहत् दोनों मामलों में मृत्यु दर 31.12.1987 तक 3.75 प्रति हजार प्रतिवर्ष तथा उसके बाद 3.60 प्रति हजार प्रतिवर्ष रखी गई है । राशि का परिकलन करते समय यह माना गया है कि सम्पूर्ण अंशदान की वसूली कर ली गई है अथवा सदस्य के सेवा समाप्ति के महीने के वेतन से यह वसूल कर ली जाएगी । ऐसा न हो पाने की स्थिति में इसे कर्मचारियों को देय संचित राशि में से काट लिया जाएगा।

2. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, यह कार्यालय जापन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

(मनोज सहाय) निदेशक

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मानक सूची के अनुसार अतिरिक्त प्रतियों सहित।

एनआईसी, व्यय विभाग को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट में इसे अपलोड करने के लिए।